इकाई 13 राजनैतिक दल एवं राजनैतिक सहभागिता

संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 राजनैतिक सहभागिता की परिकल्पना

13.3 राजनैतिक सहभागिता के रूप

13.4 राजनैतिक सहभागिता, लोकतंत्र एवं राजनैतिक दल

13.4.1 सैद्धान्तिक चर्चा एवं व्यावहारिक भिन्नताएं

13.5 भारत में राजनैतिक सहभागिता एवं राजनैतिक दल

13.5.1 विकासशील प्रतियोगी दल प्रणाली के माध्यम से राजनैतिक सहभागिता

13.5.2 अधिक मतदाता उपस्थिति

13.5.3 दलों की राजनैतिक सहभागिता की सामाजिक प्रकृति

13.6 गैर-पार्टी संस्थाएं एवं राजनैतिक सहभागिता

13.7 राजनैतिक सहभागिता एवं भारतीय लोकतंत्र

13.8 सारांश

13.9 अभ्यास प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

सहभागिता एक कार्यकलाप तथा अभिव त्ति दोनों हैं। कार्यकलाप के रूप में यह एक सामाजिक कार्यकलाप है। सुबह सैर करता हुआ व्यक्ति किसी कार्यकलाप में शामिल नहीं है जबकि 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला है। किसी के पड़ौस में कोई लम्बे समय से रह रहा है और उसे अपने पड़ोसी तक के बारे में पता नहीं तो इसे सहभागिता की अभिव त्ति न होना कहा जाएगा। तो फिर राजनैतिक सहभागिता क्या है ? 1950 के दशक के बाद से इस पर व्यापक चर्चाएं हुई हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति वैज्ञानिकों में राजनैतिक सहभागिता के महत्व तथा आवश्यकता पर आम समझौता हुआ है किन्तु इस द ष्टिगोचर समझौते में राजनैतिक सिद्धांत तथा व्यावहारिक राजनीति दोनों के स्तर पर प्रमुख विवाद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर विस्त त चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर राजनैतिक सहभागिता क्या है ?

13.2 राजनैतिक सहभागिता की संकल्पना

राजनीति विज्ञान में राजनैतिक सहभागिता की परिकल्पना को व्यावहारवादियों ने लोकप्रिय बनाया है। वास्तव में, अधिक राजनैतिक सहभागिता के पक्ष में रूसो के बाद से गणतंत्रवादी तथा लोकतंत्रवादी सिद्धांतकारों द्वारा तर्क दिए गए थे जिन्हें आज की समकालीन राजनैतिक सिद्धांतवादी उपयोग में ला रहे हैं। व्यवहारवादी प्रतिमान राजनीति के उदारवादी मत पर आधारित हैं। पुरातन द ष्टि से ऐसे मत से एक

ओर तो राज्य तथा व्यक्ति के बीच तो दूसरी ओर सार्वजनिक और निजी के मध्य भेद किया जाता है। इस मत के अन्तर्गत बाद की श्रेणियों की ओर भी झुकाव परिलक्षित होता है। तदनुसार, जब सहभागिता को अभिव त्ति के रूप में देखा जाता है तो इसका अर्थ व्यक्ति के राज्य या सरकार के प्रति अनुकूल अभिविन्यास से माना जाता है। इसी आधार पर अमरीकियों को ''सहभागितापूर्ण राजनैतिक संस्कृति'' वाले माना गया। संस्कृति तथा राजनैतिक संस्कृति की परिकल्पना का प्रणालीबद्ध उपयोग 1950 के दशक से आरम्भ हुआ। इसमें राजनैतिक संस्कृति को राजनैतिक प्रणाली की मान्यताओं से संक्षिप्त अभिव्यक्ति के रूप में लिया जाता है। यह राज्य के सार्वजनिक विचारों तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के कहीं बीच स्थित है। गैब्रियल एमंड (Gabriel Almond) के अनुसार यह उन राजनैतिक उद्देश्यों के प्रति ''अभिविन्यास का विशिष्ट पैटर्न'' है जिनसे राजनैतिक प्रणाली बनी है। अभिविन्यास राजनैतिक कार्य से पूर्व की स्थिति है तथा परम्परा, ऐतिहासिक स्मरणों, उद्देश्यों, मापदण्डों, भावनाओं व प्रतीकों द्वारा निर्धारित होने के कारण संस्कृति सहजप्रव त्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन विन्यासों को संज्ञात्मक विन्यास (राजनैतिक प्रभावों का ज्ञान तथा जानकारी), प्रभावकारी विन्यास (लक्ष्यों से संबंधित भावनाएं) तथा मूल्यांकन विन्यास (उनके संबंध में निर्णय) में वर्गीकृत किया जा सकता है। एमंड बाद में (वरबा के साथ) आदर्श संस्कृति अथवा नागरिक प्रकार का प्ररूपविज्ञान विकसित किया हैं जहां पर अधिकांश जनता आरम्भिक प्रक्रियाओं में अभिमुख होती है तथा स्वयं को नीतियों के निर्माण में अपेक्षित तथा सहायक मानती है तो राजनैतिक संस्कृति सहभागी मानी जाएगी; ब्रिटिश, अमरीकी तथा स्कैंडेनेवियन राजनैतिक प्रणालियां इसके तहत आती हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के कार्यकलापों के संदर्भ बिन्दु के तौर पर सरकार कार्यकलाप के ही रूप में राजनैतिक सहभागिता की विशेषता बन जाती है। इस प्रकार से बिर्च (Birch) ने लिखा है ''राजनैतिक सहभागिता सरकार की प्रक्रिया में सहभागिता है तथा राजनैतिक सहभागिता का मामला अनिवार्य रूप से कई निजी नागरिकों (सार्वजनिक अधिकारियों अथवा चुने हुए राजनेताओं से भिन्न) का मामला है जिससे वह नेताओं के चुनने की प्रक्रिया और/अथवा सरकारी नीतियों को तैयार करने तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सके।''

सहभागिता की उदारवादी परिकल्पना के ''व्यष्टिवाद'' तथा सरकार के सहभागिता के क्षेत्र में होने के कारण समुदायवादी इससे सहमत नहीं है। उनका मत है कि ''अधिकार की राजनीति'' के माध्यम से सरकार की प्रक्रिया में सहभागिता से अधिक महत्वपूर्ण है ''सर्वहिताय राजनीति'' के लिए समुदाय के स्तर पर सहभागिता। उनका यह भी मत है कि सरकार की प्रक्रिया में सहभागिता से महत्वपूर्ण है - स्वायतता का उपयोग, जिसे विशेष प्रकार के सामाजिक पर्यावरण में विकसित कर उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसी स्वायतता जो समुदाय को सहयोग करे न कि सरकार को। इस प्रकार से राजनैतिक सहभागिता को, मोटे रूप से, विभिन्न एजेन्टों के माध्यम से तथा सहभागिता के स्तरों जैसे किसी धार्मिक समूह द्वारा सामुदायिक हैल्थ क्लब चलाना अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रायोजित साक्षरता अभियान में भाग लेना, पर सामुदायिक अथवा नागरिक समाज के राजनैतिक जीवन में सहभागिता के रूप में देखा जा सकता हे। इसी तर्क के अनुसार राजनैतिक सहभागिता किसी लोकतांत्रिक नागरिक के राजनैतिक कर्तव्य के पालन के लिए हो सकती है ताकि वह सहभागितापूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके न कि केवल कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के प्रति नागरिक जिम्मेदारी निभाए। अधिक राजनैतिक

सहभागिता में विस्त त आर्थिक उद्यमों से बाहर अथवा भीतर कुछ हद तक लोकतांत्रिक नियंत्रण, क्षेत्र अथवा स्थान के रूप में सरकार का छोटी इकाईयों में विकेन्द्रीकरण, समुद्देश्कों/जनमत संग्रह का पर्याप्त उपयोग इत्यादि को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

13.3 राजनैतिक सहभागिता के रूप

राजनैतिक सहभागिता की परिकल्पना में राजनैतिक सहभागिता के निम्नलिखित प्रमुख रूपों को शामिल किया गया है :

1) स्थानीय अथवा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान;
2) जनमत संग्रह में मतदान;
3) चुनाव प्रचार अथवा अन्य प्रकार के चुनाव अभियान;
4) किसी राजनैतिक दल की सक्रिय सदस्यता;
5) किसी दबाव समूह की सक्रिय सदस्यता;
6) राजनैतिक उद्देश्य से राजनैतिक प्रदर्शनों, औद्योगिक हड़तालों, सार्वजनिक ग हों में किराए संबंधी हड़तालों तथा सार्वजनिक नीति बदलने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इसी प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेना;
7) नागरिक अवज्ञा के गई रूप जैसे कर अदायगी अथवा अनिवार्य सैनिक सेवा से इन्कार;
8) सरकार की परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता;
9) सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योगों के लिए उपभोक्ता परिषद की सदस्यता;
10) सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन में ग्राहकों की भागीदारी;
11) विविध प्रकार के सामुदायिक कार्यकलापों के रूप, जैसे ग ह संबंधी अथवा आस.पास के क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दे।

यदि हम राजनैतिक सहभागिता की व्यापक परिकल्पना को माने तो हम इसके रूपों की सूची में संभवत: इन्हें भी शामिल कर सकते हैं:

1) सामाजिक ड्यूटी जैसे न्यायिक अथवा सैनिक ड्यूटी करना;
2) विवादास्पद मुद्दों पर शहर/गांव की बैठकें तथा सार्वजनिक चर्चा;
3) सह.निर्धारण के विविध रूप जैसे विश्वविद्यालय में छात्र-संकाय समितियां तथा सरकार परामर्शदात्री समितियां;
4) पूर्ण सांझेदारी, प्रतिनिधित्व अथवा सशक्तिकरण जैसे लाभ-हिस्सेदारी अथवा विकास परियोजनाओं को शामिल करते हुए मिलजुल कर परियोजना प्रबंधन;

5) वैयक्तिक तथा सामूहिक अभेदवाद से संबंधित नए सामाजिक आंदोलन जैसे महिलाओं के आंदोलन तथ जातीय-सांस्कृतिक अभेदवाद के आंदोलन।

कुल मिलाकर, कई स्तरों पर तथा कई रूपों के माध्यम से लोग राजनैतिक सहभागिता रख सकते थे जैसे किसी अन्य द्वारा चलाई गई आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़कर, अथवा पूर्व-निर्धारित परिमापों के अनुसार कार्यक्रम के संभावित लाभ प्राप्तकर्त्ता के रूप में अथवा किसी नीति के राजनैतिक स्तर पर सह-वैकल्पित न्यायिकता के रूप में या फिर राज्य से स्वतंत्र चयन तथा दिशा निर्धारित करना।

13.4 राजनैतिक सहभागिता, लोकतंत्र एवं राजनैतिक दल

राजनैतिक सहभागिता का रूप हो भी रहा है, यह राजनैतिक कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है तथा निर्धारित ढांचागत परिमापों के अनुसार कई सामाजिक कारक इसमें शामिल होते हैं। इनकी संरचना सन्निहित, संबंधित तथा संस्थानगत हो सकती है। राजनैतिक सहभागिता से जुड़े अथवा उत्तरदायी कई सामाजिक कारकों में से राजनैतिक दल एक हैं। अन्य भी कई कारक हैं जैसे -स्वैच्छिक संस्थाएं, संस्थानगत समूह और सामाजिक-सांस्क तिक समुदाय। राजनैतिक सहभागिता के लिए इन कारकों की भूमिका ढांचागत प्रबंध में अंतर की प्रक ति से प्रभावित होती है। अन्य कारकों की तुलना में राजनैतिक दल का कारक के रूप में सापेक्षिक महत्व ऐसे ढांचागत प्रबंधों से प्रभावित होता है जैसाकि राजनैतिक दल की एजेन्सी के माध्यम से राजनैतिक सहभागिता की प्रक ति होती है। ऐतिहासिक रूप से सन्निहित संरचनाएं राजनैतिक सहभागिता के रूप तथा प्रक ति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, आधुनिक भारत में जनसंघ अथवा मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों का उदय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अस्पष्ट साम्प्रदायिक जागरूकता को मूर्त रूप देने के रूप में माना जा सकता है, जिसके कारण पहली बार भारत में जनगणना तथा मानचित्रीकरण आरम्भ हुआ। राजनैतिक दलों पर सापेक्षिक संरचना के प्रभाव के उदाहरण के रूप में भारतीय समाज में जातीय विवाद अथवा क षि संबंधों का संदर्भ दिया जा सकता है, प्रथम के कारण जस्टिस पार्टी अथवा बहुजन समाज पार्टी जैसी जाति पर आधारित पार्टियों तथा दूसरे के कारण लोकदल जैसी पार्टी के उदय का उदाहरण दिया जा सकता है। इस द ष्टि से राजनैतिक दल विभिन्न संरचनात्मक हितों तथा सिद्धान्तों की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। राजनैतिक दल कैसी राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित करते हैं यह संस्थानगत संरचना की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। राजनैतिक पार्टियों के माध्यम से सहभागिता की प्रकृति, उदाहरण के तौर पर, राजनैतिक प्रणाली की प्रक ति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। कुछ आधुनिक तानाशाह शासनों में जैसे जर्मनी में हिटलर के शासन में सरकारी नीतियों के बारे में सहयोग प्राप्त करने के लिए शासक पार्टी में व्यापक सदस्यता को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार से, संस्थानगत प्रबंध जैसे लोकतंत्र में चुनावी प्रणाली राजनैतिक दलों की सहभागिता की भूमिका को प्रभावित करती है। चुनावी प्रणाली को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीक त किया जा सकता है - अनेकता- बहुसंख्यक प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पी आर) प्रणाली तथा सेमि.पी आर प्रणाली। फर्स्ट-फास्ट-द-पोस्ट (एफ पी टी पी) प्रणाली जिसके अंतर्गत उम्मीदवार एकल सदस्य जिलों से चुने जाते हैं के त तीय दलों के लिए बाधक सिद्ध होते हैं जिससे दो

दलीय प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा मिलता है। ऐसा तब होता है जब जीतने वाले दल को सभी चुनावी जिलों से एक समान सहयोग प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर एक पार्टी 52 प्रतिशत वोट प्राप्त कर 60 प्रतिशत सीटें प्राप्त कर सकती हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी अवस्था में राजनैतिक दल राजनैतिक सहभागिता के सीमित एजेन्ट बन जाते हैं। पी आर प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर बहु-दलीय प्रणाली का विकास होता है तथा इस प्रकार से मतदाता के पास चयन की अधिक स्वतंत्रता रहती है। यद्यपि इससे सरकार कम प्रभावी हो जाती है क्योंकि एक पी टी वी के स्पष्ट बहुमत के न होने पर गठबंधन का बहुमत होने से सरकारें अस्थिर होती हैं किन्तु यह मानना भी गलत होगा कि पार्टी-प्रणाली की प्रक ति का निर्धारण अकेले चुनावी प्रणालियों की प्रक ति से होता है। सन्निहित तथा सापेक्षिक संरचना का आमतौर पर संस्थानगत संरचना पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। यदि हम भारत का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय तथा राज्य के स्तरों पर प्रत्येक पांच वर्ष में नियमित चुनाव कराए जाते हैं। यदि हम केवल संस्थानगत द ष्टि से राजनैतिक सहभागिता के स्तर तथा प्रक ति का मूल्यांकन करें तो हम दलों की संख्या, मतदाताओं की उपस्थिति, चुनाव परिणामों, उम्मीदवारों की संख्या तथा अन्य की गणना इस विचार से करेंगे कि जितनी संख्या अधिक होगी, उतनी ही अधिक सहभागिता होगी किन्तु इससे हम पार्टी कार्यकर्ताओं तथा गैर-मतदाताओं की राजनैतिक सहभागिता के व्यापक स्तर को अनदेखा करेंगे और हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि भारत में चुनाव राजनैतिक त्यौहार है जिसमें सहभागिता व्यक्ति विशेष की तर्कसंगत गणना, जिसमें चुनाव की हर अवस्था शामिल होती है- टिकट प्राप्त करना, चुनाव अभियान तथा बैलट पेपर पर चिन्ह अंकित करना, की अपेक्षा जनता की इच्छा का शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होता है। यहां हमारी एफ पी टी पी प्रणाली है परन्तु भारत में व्यापक सामाजिक तथा क्षेत्रीय भिन्नताएं रही हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशभर से समर्थन मिला तो पार्टी को अधिक सीटें मिलीं। परन्तु जब जब सामाजिक तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण नई पार्टियां एकजुट हुईं तो मतदाता के समर्थन में अन्तर्जिला भिन्नता के कारण उसे यह लाभ कम मिला और किसी न किसी रूप में बहु दलीय प्रणाली आई।

राज्य स्तरीय चुनावों की संघीय संरचना के कारण इस प्रक्रिया में सहायता मिली। हम इकाई के अगले भाग में हम राजनैतिक सहभागिता में आए इस परिवर्तन के महत्व पर चर्चा करेंगे परन्तु उससे पहले लोकतंत्र में राजनैतिक सहभागिता के महत्व की चर्चा करना अधिक रूचिकर होगा।

13.4.1 सैद्धान्तिक चर्चा एवं व्यावहारिक भिन्नताएं

सैद्धान्तिक द ष्टि से सहभागिता न केवल व्यवहारात्मक अपितु प्रामाणिक परिकल्पना है। अधिकांश लोगों का मत है कि सहभागिता एक अच्छी बात है परन्तु सहभागिता के वांछित स्तर अथवा राजनैतिक सहभागिता के एक या अन्य रूप के सापेक्षिक महत्व पर कई विचारकों का मत भिन्न है। सहभागिता को अक्सर राजनैतिक प्रणाली की कार्यात्मक आवश्यकताओं की द ष्टि से तर्कसंगत ठहराया जाता है जिससे नागरिकों के लिए बेहतर संचार अथवा अधिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष के लिए सहभागिता लाभप्रद मानी जाती है जबकि लाभ की गणना लागत को कम करके शुद्ध लाभ, गैर-पदार्थों के पुरस्कारों तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में माना जा सकती है। कुछ

विद्वान सहभागिता को अमूल्य मानते हैं क्योंकि एक क्षेत्र में सहभागिता से अन्य क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ती है। उनमें से अधिकांश लोग जो लोकतंत्र में प्रतिव्यक्ति सहभागिता के पक्षधर है, इस संबंध में रूढ़िवादी द ष्टिकोण अपनाते हैं तथा औसत नागरिक की योग्यता पर संदेह करते हैं परन्तु कई इस मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि सहभागिता से प्राधिकारियों को अपने निर्णयों को वैधानिक रूप देने का अवसर प्राप्त होता है। कई विद्वानों को चुनावी लोकतंत्र के क्षेत्र में राजनैतिक सहभागिता की कारगरता पर संदेह है तथा वे सामुदायिक स्व: सरकार के विविध रूपों के माध्यम से सहभागिता के पक्षधर हैं। व्यावहारिक स्तर पर भी हम राजनैतिक सहभागिता की प्रकृति, स्तरों तथा रूपों में भिन्नता पाते हैं। कई देशों जैसे - आस्ट्रेलिया, बेल्जियम तथा इटली में मतदान अनिवार्य किया गया है। अनुमोदन अथवा पैनल के मापदण्ड अति विनम्र हैं परन्तु इन मामलों में राष्ट्रीय चुनावों में मतदाताओं की उपस्थिति बहुत अधिक होती है, जिसमें कुल मतदाताओं के 90 प्रतिशत से अधिक मतदान करते हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय चुनावों में मतदाताओं की उपस्थिति बहुत कम होती है किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में कम मतदान के साथ-साथ एकल मुद्दे वाले दबाव समूहों की संख्या तथा सक्रियता में व द्धि हुई है। संस्थानगत द ष्टि से, कई यूरोपीय दल व्यापक स्तर पर सदस्यताएं स्वीकार कर रहे हैं तथा प्रत्येक शहर में शाखाएं खोल रहे हैं और स्थानीय बैठकों में सामाजिक कार्यकलापों के लिए सघन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार के दलों के उदाहरण ब्रिटिश कन्ज़रवेटिव पार्टी तथा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में देखे जा सकते हैं। तुलनात्मक द ष्टि से अमरीकी दल इनके समक्ष बहुत छोटे हैं। कार्यकलापों की द ष्टि से भी, यूरोपीय दलों की तुलना में अमरीकी दल बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर, ब्रिटिश कन्ज़रवेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी का व्यापक प्रकाशन व्यवसाय है, इनके चर्चा समूह हैं तथा इनके द्वारा युवा आंदोलन चलाए जा रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप दोनों में जनमत संग्रहों में व द्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे आरम्भ करने के लिए अभियान तथा जनमत संग्रह 1880 तथा 1890 के पाप्यूलिस्ट आंदोलन से हुआ। 1978 में राज्य के नियमों में कैलीफोर्निया में प्रस्ताव 13 के लागू होने से अभूतपूर्व परिवर्तन आया जब सम्पत्ति कर को आधे से कम करने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रव त्ति शीघ्र ही हर ओर फैल गई तथा 1970 और 1986 के बीच 22 राज्यों तथा कोलम्बिया जिले में मतदाताओं ने 158 राज्यव्यापी इनिशिएटिव पारित किए। स्विटज़रलैण्ड में मतदाताओं ने यह निर्णय लिया कि उनका देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा विश्व बैंक में तो शामिल होगा परन्तु संयुक्त राष्ट्र (United Nation) या यूरोपीय यूनियन में नहीं। 1992 में डेनमार्क तथा फ्रांस में मैस्ट्रिच्ट समझौते में संशोधन लाने पर जनमत संग्रह हुए। यदि हम राजनैतिक सहभागिता के व्यापक रूप पर द ष्टिपात करें तो हम यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में गैर-दलोन्मुख राजनैतिक सहभागिता के हाल ही के रूप पाएंगे। ब्रिटेन में ग्राहक सहभागिता कई रूपों में विकसित हुई है जैसे स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य परिषदें, ''रोगी'' सहभागिता समूह, किराएदार संघ, स्कूलों के शासी निकायों में अभिभावकों तथा छात्रों की भागीदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु हथियारों के विरोधी समूह जबकि जर्मनी में पर्यावरणीय समूह अत्यंत सक्रिय हैं।

13.5 भारत में राजनैतिक सहभागिता एवं राजनैतिक पार्टियां

उपरोक्त चर्चा से भारत में राजनैतिक सहभागिता की प्रकृति तथा सीमा और इस संबंध में राजनैतिक दलों की भूमिका की तुलनात्मक जानकारी का तत्काल आधार नहीं मिलता। इसके लिए हमें भारतीय राजनीति की विशिष्टताओं तथा भारत में दलगत राजनीति का उल्लेख अवश्य करना होगा। समकालीन विकासशील समाजों में भारतीय राजनीति की विशेष पहचान है क्योंकि लघु आपातकाल अवधि को छोड़कर 50 वर्ष का लोकतंत्र है जिसकी कुछ विरोधाभासी विशेषताएं हैं- निरक्षरता की उच्च दर तथा कृषि से जुड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अधिक मतदाता उपस्थिति। कई मतदान क्षेत्रों पर संगठित राजनैतिक दलों का संगठन या नियंत्रण न होने पर भी बहुस्तरीय चुनावी प्रक्रिया, जनता और नौकरशाही के बीच बिचौलियों, गैर दलीय आंदोलनों, विशेषकर धार्मिक तथा जातीय समूहों सहित भारतीय प्रकार के हित समूहों के साथ-साथ विविध संगठित हित संघों का होना। भारतीय दल प्रणाली भी विशिष्ट है तथा यूरोपीय और अमरीकी प्रणालियों से काफी भिन्न है। पॉल ब्रास (Paul Brass) के अनुसार ''भारत में दलगत राजनीति की कई विरोधाभासपूर्ण विशेषताएं हैं जिनमें देसी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की नौकरशाही संस्था और सहभागिता राजनीति के पश्चिमी तथा आधुनिक रूपों का साथ संगम द ष्टिगोचर होता है।'' भारत के प्रमुख राजनैतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्व में सबसे पुराने दलों में से है फिर भी यह संस्थानगत पार्टी प्रणाली का केन्द्रक नहीं बन पाई जो पश्चिम की पार्टी प्रणाली की किसी परम्परागत श्रेणी के लिए उपयुक्त हो। भारत की सामाजिक विविधता ने भारतीय पार्टी प्रणाली की जटिलता को और बढ़ा दिया है। पार्टी प्रणाली में परिवर्तन का केन्द्र भारतीय जनता पार्टी का विकास है। पार्टी प्रणाली में परिवर्तन की प्रकृति के बावजूद दल भारतीय राजनीति के केन्द्र रही हैं। भारत में ओपिनियन पोल (Opinion Poll) ने बार-बार दर्शाया है कि लोग आमतौर पर उम्मीदवार की अपेक्षा पार्टी को वोट देते हैं। कई मामलों में तो पार्टियां मजबूत रही हैं, उन्होंने गहरी वफादारी का संबंध पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनाए रखा है और पार्टियों के चुनावी चिन्ह को अत्यधिक मनौवैज्ञानिक महत्व दिया गया है। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बाद दलों ने पंचायत तथा नगर पालिका संस्थानों में कार्य प्रणाली का नया स्तर पाया है। इससे चुनाव तंत्र की पहुंच बढ़ी है तथा राजनैतिक सहभागिता के एजेन्टों के रूप में राजनैतिक दल अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। इन तथ्यों के मद्देनजर आइए अब हम राजनैतिक सहभागिता के एजेन्ट के रूप में भारतीय राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा करें।

13.5.1 विकासशील प्रतियोगी दल प्रणाली के माध्यम से राजनैतिक सहभागिता

भारतीय राजनैतिक परिद श्य का कोई भी पर्यवेक्षक राजनैतिक दलों की शक्ति में अत्यधिक व द्धि को अनदेखा नहीं कर सकता। यह व द्धि राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर हुई है। मतदान अंश, सीटों के बंटवारे के रूप में वर्तमान दलों के टूटने, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर चुनावी गठबंधनों के बनने, नई राजनैतिक पार्टियों जैसे भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के उदय तथा एन डी ए जैसे पार्टियों के गठबंधन के कारण इसे और बल मिला है।

कांग्रेस पार्टी पर विहंगम दृष्टिपात से पार्टी के भीतर के स्तर पर राजनैतिक सहभागिता का क्षेत्र संकुचित होते जाने तथा पार्टी के बाहर राजनैतिक सहभागिता के व्यापक होने का पता चलता है। सत्ता हस्तांतरण से पहले कांग्रेस को राष्ट्रवादी आंदोलन का पर्यायवाची समझा जाता था तथा यह जन लहर का प्रतिनिधित्व करती थी और विभिन्न राजनैतिक समूह जैसे साम्यवादी तथा समाजवादी सब इसी में थे। इसमें भारतीय जनता की व्यापक राजनैतिक सहभागिता थी क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। कांग्रेस पार्टी की सहभागिता की भूमिका पर कुछ प्रतिबंध 1946-1950 के बीच लगा जब पार्टी उस पार्टी से भिन्न हो गई जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बात का आभास होने से कि स्वतंत्रता मिलने वाली है, कांग्रेस के भीतर कुछ नए समीकरण बनने लगे। साम्यवादियों, मुस्लिम अलगाववादियों तथा समाजवादियों सहित कई समूहों ने कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर लिया जिससे पार्टी के भीतर सहभागिता कुछ हद तक कम हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन का सर्वाधिक प्रभावी वर्णन रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक ''पॉलिटिक्स इन इंडिया'' (1970) में दिया है। इसमें उन्होंने एक विशिष्ट प्रणाली को प्रस्तुत किया है जिसमें पार्टी संगठन के विभिन्न रूपों को सरकार की समकक्ष संरचना के साथ जोड़ा गया था जिससे राजनैतिक केन्द्र की प्रधानता के साथ.साथ पार्टी के बाहर से असहमति को स्थान मिल सका तथा विपक्षी दल कांग्रेस से भिन्न मतावलम्बी के रूप में कार्य कर सके। कोठारी ने इसे '' कांग्रेस प्रणाली'' का सरल नाम दिया है। इससे राजनैतिक सहभागिता प्रमुखत: दल संबंधी विवादों के कारण सुनिश्चित की जा सकी। इस पर ब्रास (Brass) ने लिखा है -

"औपचारिक चुनावों से पहले सदस्यता प्राप्त करने की होड़ के माध्यम से, जिसमें प्रतियोगी गुट के नेताओं ने नामांकन का प्रयास किया तथा अधिक से अधिक सदस्य सहयोगियों के माध्यम से, भले ही इनकी संख्या कागजों पर ही क्यों न हो, प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण समितियों के नियंत्रण के लिए दलों ने चुनाव लड़ा। यद्यपि पनप चुके दलगत विवाद अक्सर गहरा गए, इनमें कड़वाहट आ गई तथा ''जाली नामांकन'' के अक्सर आरोप लगाए गए तथापि इनसे पार्टी संगठन को जिन्दा रखा जा सका तथा पार्टी नेताओं पर देशभर में जिला और स्थानीय निकायों में सहयोग प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जा सका।''

1967 के चुनावों में तेजी से राजनैतिक विघटन की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। कांग्रेस के मतों में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई। यह केवल 54 प्रतिशत सीटें प्राप्त करने में सफल रही। पिछले संसदीय चुनावों में इसे 74 प्रतिशत सीटें मिली थीं। कई राज्यों में इसे बहुमत नहीं मिल सका। नौ राज्यों - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा केरल में गैर. कांग्रेसी सरकारें आईं। पार्टी के भीतर सिंडिकेट तथा इंदिरा गांधी के बीच मतभेद पैदा हो गए जिससे 1969 में पार्टी में विघटन हो गया। नई बनी कांग्रेस को अपनी पहचान वास्तव में इसके नेता से मिली। 1971 में पार्टी की भारी चुनावी जीत से राजनैतिक केन्द्रीयकरण को और बढ़ावा मिला जिसकी परिणिति 1975 के आपातकाल के रूप में हुई। इसके विरूद्ध लोकप्रिय प्रतिक्रिया होना राजनैतिक सहभागिता की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। इसी के कारण पहली बार गैर-कांग्रेस गठबंधन सरकार, जनता सरकार, केन्द्र में आई। विभक्त विपक्ष के अवसर का कांग्रेस ने लाभ उठाया

और वह 1980 में वापस सत्ता में आई। आठवें आम सभा चुनाव दिसम्बर, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तथा राजीव गांधी कांग्रेस (आई) के नेता के रूप में सत्ता में आए। इससे भी पार्टी में राजनैतिक केंद्रीयकरण की प्रव त्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। देश में बढ़ते राजनैतिक मतभेदों तथा बोफोर्स तोप सौदे के विवाद की प ष्ठभूमि में 1989 में आम चुनाव हुए। कांग्रेस (आई) को हार का मुंह देखना पड़ा, इसे लोक सभा में केवल 197 सीटें मिलीं। नैशनल फ्रंट को यद्यपि बहुमत प्राप्त नहीं था, तथापि इसने भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों के बाह्य समर्थन से सरकार बनाई तथा वी० पी० सिंह० इस सरकार के प्रधानमंत्री बने। सरकार केवल एक वर्ष चली तथा कांग्रेस (आई) के समर्थन से चन्द्रशेखर सरकार बनी, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और नौंवी लोकसभा अपने गठन के डेढ़ वर्ष के भीतर ही भंग हो गई। आम चुनाव होने से पहले ही राजीव गांधी की हत्या हो गई तथा सहानुभूति और इसके पक्ष में चुनावी समर्थन से कांग्रेस (आई) की स्थिति कुछ हद तक सुधरी परन्तु फिर भी इसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तथा 232 सीटों के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। पार्टी के चुने गए नेता, पी० वी० नरसिंह राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में राव को जनता दल अजीत सिंह घटक का समर्थन मिलने से बहुमत प्राप्त हो गया परन्तु पार्टी संगठनात्मक शक्ति को फिर से प्राप्त नहीं कर पाई तथा धीरे-धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी जिसकी परिणिति 1996 के चुनावों के बाद से सत्ता के हटने के रूप में हुई जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि इसे बहुमत नहीं मिला था तथा विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां जैसे तेलगु देशम पार्टी, डी एम के, ए जी पी तथा जनता दल, जी के मूपनार की अध्यक्षता में तमिलनाडु में कांग्रेस से अलग हुआ समूह तथा वामपंथी दलों ने इकट्ठा होकर एन एफ - एल एफ ब्लॉक बनाया जिसे बाद में यूनाइटिड फ्रंट कहा गया किन्तु राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने यूनाइटिड फ्रंट को कांग्रेस (आई) के समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया। वाजपेयी ने सरकार भी बनाई परन्तु यह केवल 7 दिन तक चली। उसके बाद जनता जल के एच० डी० देवेगौड़ा ने कांग्रेस (आई) के सहयोग से सरकार बनाई जब पहली बार किसी वामपंथी दल के इतिहास में सी पी आई केन्द्र में सरकार में शामिल हुई। 1996 में ही भारतीय जनता पार्टी ने शिव सेना के साथ गठबंधन किया। 1998 में हिन्दुत्व के प्रति नये रवैये की छवि को अपनाकर इसने अपने गठबंधनों को सुद ढ़ किया तथा क्षेत्रीय अथवा राज्य आधारित कांग्रेस विरोधी अथवा कांग्रेस से गठबंधन की क्षेत्रीय विपक्षी पार्टी (पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा) या कांग्रेस के अलग हुए किसी घटक (त णमूल कांग्रेस) बनाम प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी (प० बंगाल) की सहयोगी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। यह राष्ट्रीय एजेन्डा अपनाने में सफल रही तथा चुनाव के बाद भी इसके सहयोगी बने (चौटाला का हरियाणा लोकदल) तथा बाह्य समर्थन से (टी डी पी, एन से) केन्द्र में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस पुन: सत्ता में नहीं आ सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखने तथा उसी गठबंधन में और पार्टियां जोड़ने में सफल रही जिसका औपचारिक नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन डी ए) है जिसमें टी डी पी, गोवा की एम जी पी तथा कर्नाटक जनता दल का पटेल गुट शामिल हैं तथा यह गठबंधन तमिलनाडु और हरियाणा में सहयोगी दल बदल चुका है। उपरोक्त प्रव त्तियों से कांग्रेस के पतन तथा केन्द्रीय स्तर पर सत्ता के नए दावेदारों के उभरने से पता चलता है कि चुनावी गठबंधनों के साथ-साथ पार्टी प्रणाली में विघटन का पैटर्न आता जा रहा है जिससे पार्टी

प्रणाली की सक्षमता में विकास हुआ है तथा सत्ता में अधिक पार्टियों की भागीदारी हुई है जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक द्विदलीय प्रणाली का आविर्भाव हो रहा है।

स्वतंत्र पार्टी (IND)	अन्य	प्रजा समाजवादी पार्टी (SSP), (SOC) 1962 तक	बहुजन समाज पार्टी (BSP)	समाजवादी पार्टी (SP)1991 में (JP) 1989 तक	लाकदल (LKD) (JPS) 1980 में (INCO) 1977 तक	भारतीय मार्क्सवाद साम्यवादी पार्टी (CPIM)	भारतीय मार्क्सवाद साम्यवादी पार्टी (CPI)	जनता दल (United) 1999 में (JD) 1989-98 (SWA) 1971 तक	भारतीय जनता पार्टी (BJP) (BLD) in 1977 (BJS) 1971 तक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), 1980 में
38 15.9%	47 16.59%	12(254) 10.0%	-	-	-	-	16(49) 3.3%	-	3(94) 3.1%	(479)
42 19.4%	31 7.6%	-	-	-	-	-	27(110) 8.9%	-	4(130) 5.9%	(490)
20 11.1%	34 10.5%	6(107) 2.7%	-	-	-	-	29(137) 9.9%	18(173) 7.9%	14(196) 6.4%	(488)
35 13.7%	45 10.0%	23(122) 4.9%	-	-	-	19(62) 4.4%	23(106) 5.0%	44(178) 8.7%	35(251) 9.4%	(516)
14 8.4%	53 13.8%	3(93) 2.4%	-	-	16(238) 10.4%	25(85) 5.1%	23(87) 4.7%	8(56) 3.1%	22(160) 7.4%	(441)
9 5.5%	52 9.9%	-	-	-	3(19) 1.7%	22(53) 4.3%	7(91) 2.8%	-	295(405) 41.3%	(492)
9 6.4%	35 8.5%	-	-	31(432) 19.0%	41(294) 9.4%	36(63) 6.1%	11(48) 2.6%	-	-	(492)
5 8.1%	44 10.0%	-	-	10(219) 6.7%	3(174) 5.6%	22(64) 5.7%	6(66) 2.7%		2(229) 7.4%	415 (517)
12 5.2%	44 12.2%	-	-	0(156) 1.0%	0(117) 0.2%	33(4) 6.5%	12(50) 2.6%	142(243) 17.7%	86(226) 11.5%	48.1% (510)
1 3.9%	41 12.1%	-	-	5(345) 3.4%	0(78) 0.1%	35(60) 6.2%	14(42) 2.5%	59(307) 11.8%	120(468) 20.1%	252 (492)
9 6.3%	115 21.5%	-	11(117) 3.6%	17(111) 3.3%	-	32(75) 6.1%	12(43) 2.0%	46(196) 8.1%	16(471) 20.3%	36.5% (140)
6 2.4%	141 26.3%	-	5(249) 4.7%	20(164) 5.0%	-	32(71) 5.2%	9(58) 1.8%	6(190) 3.2%	179(384) 25.5%	20.0% (474)
6 2.8%	143 27.1%	-	14(225) 4.2%	26(515) 3.8%	-	33(72) 5.4%	4(54) 1.5%	21(60) 3.1%	182(339) 23.8%	(453)

बी एल डी : भारतीय लोकदल

बी जे एस : भारतीय जनसंघ

एस डब्ल्यू ए : स्वतंत्र पार्टी

उपरोक्त प्रव त्ति न केवल राष्ट्रीय स्तर पर रही है अपितु इसने 1967-1989 के बीच हुए आम चुनावों में राज्यों को भी प्रभावित किया है। गैर-कांग्रेस वोट को मजबूती (मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश

इत्यादि) राज्य पर आधारित छोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस गठबंधन (केरल, त्रिपुरा) वामपंथी गठबंधन तथा इसी प्रकार के अन्य गठबंधन हुए हैं। ऐसा ही राज्य विधानसभा चुनावों में भी हुआ। यहां संसदीय चुनावों की अपेक्षा कांग्रेस की स्थिति और विकट हो गई है तथा प्रमुख चुनौती देने वाली पार्टियों अथवा गठबंधनों का सुद ढ़ीकरण हुआ है। राज्य स्तर पर गठबंधन की प्रक्रिया जटिल अथवा बहुपक्षीय है परन्तु यह नोट करने योग्य है कि इनका गठबंधन सैद्धान्तिक विचारों अथवा सामाजिक वर्ग की अपेक्षा कुल वोटों की संख्या बढ़ाने से अधिक हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनैतिक पार्टियां एजेन्टों के रूप में न केवल बढ़ी हैं अपितु सत्ता के बंटवारे तथा इसके रख-रखाव में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है।

13.5.2 अधिक वोटर उपस्थिति

भारत में राजनैतिक सहभागिता के अध्ययन से संबंधित तथ्य यह है कि भारत में वोटरों की उपस्थिति बढ़ रही है। प्रथम आम चुनावों में यह 47-5 थी जबकि 1999 के चुनावों में यह 59-5 हो गई (जोया हसन, 2002, पष्ठ 1)। तालिका में इस व द्धि को दर्शाया गया है :

तालिका 1 : चुनाव आंकड़े, भारतीय संसदीय चुनाव 1952-91

वर्ष	कुल मतदाता (मिलियन में)	मतदान केन्द्र	डाले गए वोट (मिलियन में)	उपस्थिति (प्रतिशत)
1952	173.2	132,560	80.7	45.7
1957	193.7	220,478	91.3	47.7
1962	217.7	238,355	119.9	55.4
1967	250.1	267,555	152.7	61.3
1971	274.1	342,944	151.5	55.3
1977	321.2	373,908	194.3	60.5
1980	355.6	434,442	202.3	56.9
1984	375.8	479,214	238.4	64.1
1989	498.9	579,810	309.1	62.0
1991	488.4	594,811	276.8	56.7

स्रोत : पॉल ब्रॉस, 1997, पष्ठ 104

मतदाताओं की उपस्थिति में व द्धि की यह प्रव त्ति विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलती है। 16 राज्यों में किए गए अध्ययनों के आधार पर योगेन्द्र सिंह (1998) ने उच्च राजनैतिक सहभागिता तथा राजनीति में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी की द ष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में नए चरण का आरम्भ पाया है। आंकड़ों के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका 2 देखें :

तालिका 2: विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की प्रतिशत उपस्थिति, **1984-1995**

राज्य	1984-5	1989-90	1993-5	बढ़ोतरी
आन्ध्र प्रदेश	66.7	67.6	71.1	3.5
अरूणाचल प्रदेश	76.3	68.9	81.4	12.3
बिहार	55.1	62.2	61.8	–0.4
दिल्ली	55.6	54.3	61.8	–
गुजरात	47.7	51.1	64.7	13.6
गोवा	71.9	68.7	71.7	3.0
हिमाचल प्रदेश	69.6	66.7	71.7	5.0
कर्नाटक	66.3	63.8	68.8	5.0
मध्य प्रदेश	48.6	52.8	59.0	6.2
मणिपुर	87.3	80.6	88.8	8.2
महाराष्ट्र	58.3	61.1	72.0	10.9
मिज़ोरम	70.6	80.4	80.8	0.4
उड़ीसा	51.4	55.5	73.8	18.3
राजस्थान	54.0	56.5	60.6	4.1
सिक्किम	62.6	69.5	81.0	11.5
उत्तर प्रदेश	44.8	48.5	57.1	8.6
कुल	55.3	60.3	64.2	3.9

स्रोत: योगेन्द्र यादव, 1998, पष्ठ 18

न केवल मतदाताओं की संख्या में व द्धि हुई है अपितु उम्मीदवारों की संख्या भी 1990 के दशक में अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। यादव के अनुसार :

"पिछले कुछ दशकों में उम्मीदवारों की संख्या में धीरे-धीरे व द्धि हुई है यद्यपि इसमें उल्लेखनीय व द्धि 1990 के दशक में हुई। यह व द्धि लगभग एक उम्मीदवार प्रति चुनाव क्षेत्र की मामूली दर से आरम्भ हुई जिससे चुनावी दंगल में धीरे-धीरे आ रही गंभीरता का पता चलता है परन्तु 1980 के दशक के बीच के वर्षों के दौरान इसमें अभूतपूर्व व द्धि हुई है। 1993-95 के दौरान उम्मीदवारों की संख्या में व द्धि का यह दौर जारी रहा। यदि 1960 के दशक में प्रथम लोकतांत्रिक क्रान्ति आई तो 1990 का दशक स्वतंत्र भारत की दूसरी लोकतांत्रिक क्रान्ति का समय रहा।

चुनावी प्रक्रिया में गहनता इन तथ्यों से भी स्पष्ट होती है : संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या 1952 में 1874 थी, 1991 में यह बढ़कर 8953 हो गई। मतदान केन्द्रों की संख्या 1952 में 132,560 थी जो 1991 में बढ़कर 594,797 हो गई (हार्ड ग्रेव एवं कोचानक (Hard Grave and Kochanek) 1993, पष्ठ 347)।

13.5.3 दलगत राजनैतिक सहभागिता की सामाजिक प्रकृति

विकासशील प्रतियोगी पार्टी प्रणाली एक प्रकार से क्षेत्रीय तथा राज्य पर आधारित पार्टियों की देन है किन्तु इस मुद्दे पर विस्त त चर्चा का अर्थ पार्टी प्रणालियों के सामाजिक विदलन सिद्धान्त की साधारण स्वीकृति होगा। कांग्रेस पर किए गए अध्ययनों से पता चला कि पार्टी संगठनों के कुछ सम्पर्क तीव्र सामाजिक घटकों से जुड़े हैं। कांग्रेस एक विजातीय राष्ट्रीय पार्टी नहीं है अपितु उन राज्य समूहों का गठबंधन है जिनका राजनैतिक आधार संबंधित राज्य तथा समुदाय में विघटन और विवाद है किन्तु अन्तर्समूह विवादों की भौगोलिक विशिष्टता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। समूह विवादों का राजनैतिक महत्व एक राज्य से दूसरे राज्य में इस सीमा तक भिन्न होता है कि सामाजिक समूहों तथा पार्टियों के बीच सम्पर्कों की सुद ढ़ता भिन्न हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र सहयोगात्मक तथा विरोधात्मक विशेषताओं के वर्णन से यह माना जाता है कि राजनैतिक दलों में प्रतियोगिता के माध्यम से अत्यन्त विभक्त समाज के सामाजिक विभक्तिकरण को व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध में 1990 के दशक में ऐतिहासिक रूप से विकास का लाभ न उठा पाई जातियों के स्वयं को राजनैतिक रूप से स्थापित करने का मामला है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के साथ-साथ हाल ही के वर्षों में दलित-बहुजन जातियों का उदय हुआ है जिन्होंने अक्सर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। इन सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनैतिक दल हैं - बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी तथा जनता दल के घटक - पुरानी जस्टिस पार्टी के बाद से जाति पर आधारित दलों की संख्या इस प्रकार तेजी से बढ़ी हैं कि भारत में सामाजिक बहुलवाद प्रतियोगी पार्टी प्रणाली में अधिक से अधिक परिलक्षित होने लगा है जो राजनैतिक सहभागिता का कारण है। अत: यह कहा जा सकता है कि कोई राजनैतिक दल राजनैतिक सहभागिता के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए प्राय: अपने संगठन में आंतरिक बहुलवाद को दर्शाता है। द्रविड़वादी पार्टियों पर हाल ही में किए अध्ययन में नरेन्द्र सुब्रहमण्यन ने यह बताया है कि न केवल सामाजिक बहुलवाद अपितु दलों के आंतरिक बहुलवाद से अधिक प्रतिनिधित्व तथा आपातिक समूहों की सहभागिता और सार्वजनिक संस्कृति व सहिष्णुता के पुनर्स्थापन को बढ़ावा मिला है परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत में सभी दल बराबर संगठनात्मक या आंतरिक बहुलवादी हैं।

मतदाताओं की उपस्थिति में व द्धि की सामाजिक प्रकृति के स्पष्ट पैटर्न नहीं है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की उपस्थिति अधिक रही है परन्तु महिलाओं में सहभागिता दर पुरुषों की अपेक्षा तेजी से बढ़ी है। महिलाओं की उपस्थिति 1975 के 38.8 प्रतिशत की तुलना में 1989 में 20 प्रतिशत बढ़कर 57.3 प्रतिशत हुई है किन्तु यह भी देखा गया है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी पुरुषों से बहुत कम है। संसदीय तथा विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की संख्या में कमी का रूझान है यद्यपि स्थानीय स्तर पर आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 1980 के दशक के बाद से देश के अधिकांश भागों में स्वायत महिला समूहों का विकास हुआ है जिसने भारत में राजनैतिक सहभागिता को नया सामाजिक आयाम दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में मतदाता उपस्थिति अधिक थी। राज्यवार आंकड़ों से मोटे रूप से पता चलता है कि मतदाता उपस्थिति दक्षिणी राज्यों, विशेषकर केरल तथा प० बंगाल में अधिक रहती है किन्तु यादव का यह कहना है कि नई

लोकतांत्रिक क्रान्ति की एक विशेषता यह है कि व्यावहारिक रूप से हर स्थान पर ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में मतदाता उपस्थिति अधिक रही है। जबकि मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं तथा आरक्षित (अनुसूचित जाति) चुनाव क्षेत्रों में मतदाता उपस्थिति पहले की अपेक्षा अधिक नहीं थी परन्तु आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में आरक्षित (अनुसूचित जाति) चुनाव क्षेत्रों में मतदाता उपस्थिति औसत उपस्थिति की तुलना में अधिक थी। इसी प्रकार की प्रव त्ति महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा, पूर्वी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में देखने को मिली। यद्यपि भारतीय चुनावों में भाग लेने वाले नए सामाजिक चुनाव क्षेत्र का सिद्धान्त पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, फिर भी कम से कम इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जहां संभव हो ऐसा चुनाव क्षेत्र अब राजनैतिक दलों द्वारा व्यापक रूप से संघटित किया गया है।

13.6 गैर दलीय संस्थान एवं राजनैतिक सहभागिता

ऐसे संस्थानों, जैसे ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों तथा विश्वविद्यालयों को राजनैतिक दलों से पूरी तरह से अलग रखना निश्चित रूप से गलत होगा। इनके राजनैतिक दलों के साथ संबंध रहे हैं तथा आज भी है किन्तु कई विचारकों ने इन संस्थानों की राजनैतिक सहभागिता के कारण बनने तथा राजनैतिक पार्टियों को प्रभावित करने में इनकी अक्षमता का उल्लेख किया है। 1980 के दशक के बाद से यह परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गया है। हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप वर्तमान कृषक आंदोलनों का प्रभाव क्षेत्र सीमित हुआ तथा इनमें विद श्यता आई। दूसरी ओर, वैश्वीकृत शक्तियों ने ट्रेड यूनियनों को कमजोर बना दिया है जिसके कारण पार्टी संगठनों में उनका प्रभाव कम हुआ है जो पार्टियों द्वारा, ट्रेड यूनियनों को कम महत्व देने के रूप में तथा उनके साथ-साथ, यहां तक कि वामपंथी दलों द्वारा चुनावों में प्रायोजित उम्मीदवारों में ट्रेड यूनियन नेताओं के नाम न रखने के रूप में परिलक्षित होता है। विश्वविद्यालयों की संस्था में व द्धि तथा उनके गिरते स्तर के कारण नागरिक समाज में सहभागी संस्थानों के रूप में उनका प्रभाव कम हो गया है। कई नए समूह, जिन्हें कई बार गैर-सरकारी संगठनों का नाम दिया गया है, प्रमुखत: सरकरी कार्यक्रमों अथवा प्रायोजित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित राजनैतिक सहभागिता के एजेन्ट के रूप में उभरे हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या कम नहीं है परन्तु फिर भी लोकप्रिय भागीदारी की द ष्टि से उनके महत्व का मूल्यांकन करना अभी उचित नहीं होगा।

"नए सामाजिक आंदोलनों'', ऐसे आंदोलन जो अन्य बातों के साथ-साथ नागरिक स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों के हनन, महिलाओं के प्रति हिंसा या लिंग भेद, पर्यावरण के ह्रास, जनजातीय सभ्यता अथवा जीवन के तरीके के विनाश की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उभरे हैं, के माध्यम से कुछ सीमा तक राजनैतिक सहभागिता में बढ़ोतरी हुई हैं। कई विचारकों ने इन आंदोलनों को ''प्रति प्राधान्य'' (Counter hegemonic) का नाम दिया है तथा इन प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया है : नारी आंदोलन, वन आंदोलन, बड़े बांध विरोधी आंदोलन। सामान्यतया इनमें से प्रत्येक आंदोलन दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तथा परम्परागत राजनैतिक दलों से स्वयं को अलग रखता है। अभेदवाद पर बल तथा ''स्वायतता आंदोलनों' के मामले बढ़े हैं। कई आंदोलनों में तो हिंसात्मक तरीके

भी अपनाए गए हैं जो समकालीन भारत में राजनैतिक सहभागिता के गैर.दलीय आधारित माध्यमों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

13.7 राजनैतिक सहभागिता एवं भारतीय लोकतंत्र

राजनैतिक दलों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, मतदाता उपस्थिति में व द्धि, सहभागिता के नए रूपों के विकास जैसे - नए सामाजिक आंदोलनों, निचले स्तर की राजनीति के संस्थानों तथा ऐतिहासिक द ष्टि से वंचित जातियों और सजातीय-धार्मिक समूहों की स्थानीय स्तर की राजनीति और राजनैतिक प्रधानता के कारण भारत में राजनैतिक सहभागिता में निश्चित तौर पर व द्धि हुई है। स्पष्टतया यह भारतीय लोकतंत्र के विकास की दिशा में यह अच्छी प्रव त्ति है। क्या अब भारत में सहभागिता की संस्कृति बन चुकी है ? यद्यपि उच्च राजनैतिक एकजुटता तथा अधिक मतदाता भगीदारी अपने आप में सहभागिता की संस्कृति में योगदान नहीं देते तथापि लोकप्रिय अभिमुखता नियमित प्रशासन तथा समाज के परम्परागत अधिकार प्राप्त चिन्हों पर निर्भरता की अपेक्षा दैनिक जीवन में जन प्रतिनिधित्व, चाहे वह प्रमाणपत्रों, सहायता अथवा स्वेच्छाचारिता के संबंध में हो, की ओर उल्लेखनीय रूप से अग्रसर हुई है परन्तु सहभागिता में इस क्रान्ति को लोकतंत्रीकरण की भारतीय प्रक्रिया की जटिलता के मद्देनजर समझा जाना चाहिए। यह संदेहास्पद है कि चुनावी क्षेत्र में अपनी नागरिकता की सर्वप्रभुतासम्पन्न शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी युक्तिसंगत व्यक्ति को कितना महत्व दिया गया है। यह संदेह प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) कानून एवं आधारभूत अधिकारों के नियमों के न पूरा हाने से नहीं अपितु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति की अर्थपूर्ण तथा युक्तिपूर्ण भागीदारी पर दबावों के कारण उठता है। सर्वप्रथम छोटी-छोटी असंख्य पार्टियों, जो उचित रूप से संस्थानगत नहीं हैं, तथा पूर्ण रूप से करिश्माई नेताओं तथा कुछ बड़ी पार्टियों, जो संस्थानकरण में कोई रुचि नहीं रखते, के पूर्ण नियंत्रण में होने के कारण जन विशेष की भागदारी अत्यंत बाध्य हो जाती हैं क्योंकि अभी भी राजनैतिक दल भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केन्द्र हैं। दूसरे, हाल ही के वर्षों में हुए विकास से मतदाताओं के अधिकार पर बाध्यताएं लगी हैं जैसे कि चुनावी उम्मीदवारों की योग्यताओं तथा सम्पत्ति को पारदर्शी बनाने का विफल प्रयास, इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल जिससे कि मतदाता अपना मत ''बेकार'' न कर सकें तथा इस प्रकार से उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त न कर सकें। तीसरे, राजनैतिक विदलन द्वारा सामाजिक विदलन को निष्प्रभावित करने की अपेक्षा असैद्धान्तिक एकजुटता के कारण, भारत में राजनैतिक विदलन स्वयं को सामाजिक विदलन पर स्थापित करता है जिससे कि ''अभिशासन का संकट'' उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जन साधारण को दलों द्वारा एक जुट करने तथा उनके राजनीतिकरण से भारतीय लोकतंत्र में गहराई आने की अपेक्षा यह अधिक सम्मिलित हुआ है परन्तु इस सम्मिलन की समस्या यह है कि इसकी शर्तें सदैव इसमें समाविष्ट और आधुनिक नहीं होती परन्तु प्राय: अनन्य होती हैं तथा "किसी गैर-यूरोपीय अवस्था में लोकतांत्रिक राजनीति के आधुनिक विचारों, आदर्शों तथा संस्थानों के प्रभावी क्रिओलीकरण'' (यादव, 1998, प० 187) की दिशा में कदम आगे बढ़ाती हैं। अंत में, प्रभावोत्पादक राजनैतिक कार्यकलापों के गैर-चुनावी तरीकों के लिए संस्थानगत क्षेत्र यूरोपीय अवस्थाओं के क्षेत्र के अनुसार नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनैतिक दल

राजनैतिक सहभागिता की सर्वाधिक प्रभावी एजेन्ट सिद्ध हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र में हाल ही के वर्षों में राजनैतिक सहभागिता के नए रूप सामने आए हैं तथा राजनैतिक सहभागिता भी पहले से बढ़ी है फिर भी भारतीय राजनीति में इनकी वास्तविक प्रकृति तथा महत्व विवाद का विषय है।

13.8 सारांश

राजनैतिक सहभागिता की परिकल्पना भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बन गई है। इस परिकल्पना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य पहलू बनाने का श्रेय व्यावहारविदों को जाता है। राजनैतिक सहभागिता के विविध रूप हैं - जनमत संग्रह में मतदान, राजनैतिक दलों तथा दबाव समूहों की सदस्यता, सरकारी परामर्शदात्री समितियां, सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन में शामिल होना इत्यादि। विकासशील प्रतियोगी प्रणाली में राजनैतिक दलों की संख्या में व द्धि से समाज के विभिन्न वर्गों में राजनैतिक सहभागिता का क्षेत्र बढ़ाने में सहायता मिली है। गैर.दलीय संस्थान जैसे गैर-सरकारी संगठन नारी आंदोलनों, बड़े बांध विरोधी आंदालनों इत्यादि के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। राजनैतिक सहभागिता के अन्य प्रमुख कारकों में शामिल हैं - अधिक मतदाता उपस्थिति, जातीय एवं धार्मिक समूहों तथा वंचित समूहों के स्वयं को राजनैतिक रूप में स्थापित करने के प्रयास इत्यादि। प्रभावी सहभागिता तथा भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतिम मूल्यांकन को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है तथा यह एक विवादास्पद मुद्दा है।

13.9 अभ्यास प्रश्न

1) राजनैतिक सहभागिता की व्यावहारविदों की परिकल्पना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

2) राजनैतिक सहभागिता के भारत में राजनैतिक दलों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

3) राजनैतिक दलों की राजनैतिक सहभागिता की सामाजिक प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

4) सहभागिता के गैर दलीय संस्थान कौन-कौन से हैं ? वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूरक के रूप में कैसे कार्य करते हैं ?

5) ''राजनैतिक सहभागिता ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समादेशित बना दिया है।'' इस कथन की व्याख्या कीजिए।